<u>न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.ए.एस सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़(राज0)</u>

दावा संख्या :– 90/2016

भगवानदास पिता हीरादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क, निवासी सारण तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

....वादी

बनाम

1 जानकीलाल पिता भूरा जी जाति चमार उम्र वयस्क, निवासी सारण तहसील बेगूँ
2 नारूलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
3 प्रभुलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
4 छोटूलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
5 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज. ......प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री देवेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी   निर्णय दिनांक : 26.12.2017

<u>निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राज. टिनेन्सी एक्ट</u>

वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आर.टी.एक्ट जा.दी. अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व 3 व्य.प्र.सं. का बाबत् कब्जेयाबी आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का वकील वादी श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन निम्न प्रकार से किया है कि:–

यह कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 है, जिस पर वादी निरंतर काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि वादी के खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की आराजी स्थित है। प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त आराजी के पड़ोसी हैं तथा मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण अक्सर सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। वादी ने कई बार मौखिक रूप से प्रतिवादीगण को समझाया लेकिन प्रतिवादीगण हर बार नया विवाद पैदा कर देते हैं। इस वर्ष 2014 को वादी ने अपने खेत पर खड़ी फसल को लेकर अगली फसल के लिए हाकने के लिए तैयारी कर रहे थे कि सीमा संबंधी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करने पर प्रतिवादीगण आमादा हुए जिनको पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा तो नहीं माने और वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण पत्थरगढ़ी कराने की नोबत आयी, जिस पर वादी ने पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया गया जिसकी पालना में मौके पर दिनांक 13.06.2015 को तरमीम नक्शे के आधार पर पत्थरगढ़ी कर पत्थर मौके पर गाड़े गये। वक्त पत्थरगढ़ी प्रतिवादी के खेत में आयी जो लगभग 10 बिस्वा प्रतिवादी तरफ अधिक निकली जिस पर पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके पर वादी व प्रतिवादीगण को मौके पर जमीन नाप कर पत्थरगढ़ी कर सीमा चिह्न अंकित कर मौके पर वादी व प्रतिवादीगण संतुष्ट होने से पत्थरगढ़ी तरमीम नक्शे के अनुसार कर मौके पर कब्जा सौंप पर्चा मौका कायम किया जाकर न्यायालय तहसीलदार सा. बेगूँ में प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 15.09.2015 को पत्रावली को फैसल किया गया।

यह कि वादी के द्वारा उक्त पत्थरगढ़ी के अनुसार आराजी को बिना किसी बाधा निरंतर उपयोग उपभोग करता चले आ रहा है, लेकिन दिनांक 31.05.2016 को प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के अनधिकृत रूप से वादी के खातेदारी आराजी में प्रवेश कर जबरन वादी को बेदखल करने की नीयत से पुख्ता गाड़े गये पत्थरगढ़ी के सीमा चिह्नों को नष्ट कर उखाड़ फेंकने लगे और वादी की अतिरिक्त जमीन जो प्रतिवादीगण की आराजीयात में निकली उसको पुनः अपने कब्जे में लेकर पत्थरगढ़ी को मानने से इंकार कर दिया और वादी द्वारा मना करने लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए और वादी की अतिरिक्त रकबे से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया एवं वादी की आराजी को जबरन हाक दिया और वादी को धमकी दी कि दुबारा खेत पर आये तो जान से मार डालेंगे।

यह कि वाद वर्णित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार कानूनन नहीं होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने पत्थरगढ़ी को नहीं मान कर जबरन ताकत के बल पर वादी को उनकी आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लिया इसलिए वादी की ओर से वाद वर्णित आराजी की खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर काबिज रकबे पर जबरन कब्जा कर लेने से कब्जेयाबी हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है।

क्रमशः : ... 2

यह कि वाद वर्णित आराजी का अतिरिक्त रकबा जो प्रतिवादीगण के अतिक्रमण में है, से वादी को प्रतिवर्ष 20000/– रुपये का फसल उत्पादन करते हैं लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लेने से वादी को प्राप्त होने वाली फसल का प्रत्यक्ष रूप नुकसान हो रहा है, इसलिए वाद वर्णित आराजी की कब्जेयाबी वादी को कराये जाने तक प्रतिवर्ष 20000/– रुपये की दर से अंतवर्ती लाभ वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस हेतु भी वादी की ओर से वाद प्रस्तुत है।

यह कि वाद वर्णित विवादित आराजी के बाद कब्जेयाबी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में व कब्जे में किसी प्रकार से बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अन्य किसी नौकर एजेंट रिश्तेदार इत्यादि से करावें।

यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.05.2016 को वादी की वाद वर्णित आराजी की खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर कब्जे पर जबरन कब्जा कर लेने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है :–

कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वाद वर्णित आराजी की खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 है, पर प्रतिवादीगण द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया जाने से कब्जा हटाया जाकर वापस वादी को दिलाया जावे।

कि वादी को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाये जाने तक का अंतवर्ती लाभ 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से दिलाया जावे।

कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादी की वाद वर्णित विवादित आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न अन्य किसी नौकर एजेंट, परिवार के सदस्य व रिश्तेदार इत्यादि से करावें।

हमारे द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना हाजिर नहीं आने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार सिद्ध होने से अपनी खातेदारी की भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार बेगूँ भूमिधारी द्वारा जवाब पेश करते हुए विशेष कथन में वादी द्वारा मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया जाना एवं वापस वादी को कब्जा दिलाया जाना तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना स्वीकार किया गया है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 183, 188 आर.टी. एक्ट बाबत् कब्जेयाबी आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को कब्जे से बेदखल किया जाकर वादी रतनदास को भूमि का कब्जा सुपुर्द कराया जावे एवं साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 भूमि में वादी द्वारा उपयोग उपभोग व कब्जे में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जावे, न ही अन्य किसी नौकर एजेंट, परिवार के सदस्य व रिश्तेदार इत्यादि से करावें। वादी द्वारा अंतवर्ती लाभ हेतु अन्य दाद राशि रुपये 20000/– प्रतिवर्ष अनुसार चाही गयी है, जो कि अंकित की गयी राशि सिद्ध नहीं होने से अंतवर्ती लाभ नहीं दिलाया जा सकता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26/12/2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज॰)

दावा संख्या :– 90/2016

भगवानदास पिता हीरादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क, निवासी सारण तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

....वादी

बनाम

1 जानकीलाल पिता भूरा जी जाति चमार उम्र वयस्क, निवासी सारण तहसील बेगूँ
2 नारूलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
3 प्रभुलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
4 छोटूलाल पिता जानकीलाल जी जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूँ
5 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज. ......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह की उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 183, 188 आर0टी0 एक्ट का आज तारीख 26/12/2017 को उपखंड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश निम्नानुसार दिये जाते हैं:–

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 183, 188 आर.टी. एक्ट बाबत् कब्जेयाबी आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को कब्जे से बेदखल किया जाकर वादी रतनदास को भूमि का कब्जा सुपुर्द कराया जावे एवं साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 103 आराजी संख्या 546/320 रकबा 0.49 है0 भूमि में वादी द्वारा उपयोग उपभोग व कब्जे में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जावे, न ही अन्य किसी नौकर एजेंट, परिवार के सदस्य व रिश्तेदार इत्यादि से करावें। वादी द्वारा अंतवर्ती लाभ हेतु अन्य दाद राशि रुपये 20000/– प्रतिवर्ष अनुसार चाही गयी है, जो कि अंकित की गयी राशि सिद्ध नहीं होने से अंतवर्ती लाभ नहीं दिलाया जा सकता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गयी।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ